न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 72/2023

उनवान गणेश बनाम रामरतन

निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते मिशल तलबी एवं आदेश दिनांक 21.06.2023 की क्रियान्विती को रोके जाने बाबत्

निर्णय दिनांक **21.09.2023**

- वकील अपीलार्थी कुश कुमार

प्रतिवादी संख्या 01/अपीलार्थी रामरतन की ओर से अधिवक्ता श्री कुश कुमार उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते मिशल तलबी एवं प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक 21.06.2023 की क्रियान्विती को रोकने बाबत पेश किया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 72....../2023 पर दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता श्री कुश कुमार ने उपरोक्त प्रा. पत्रों में जाहिर किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2023 को पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये थे। अप्रार्थी संख्या 01 रामरतन के द्वारा आपके द्वारा पारित आदेश से क्षुक्षुब्ध होकर अपीलीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत कर दी गई जो विचाराधीन है जिसकी अपील संख्या 97/2023 है। दिनांक 20.09.2023 को तहसीलदार अरांई के कार्यालय से उक्त खसरे के पत्थरगढी बाबत नोटिस भेजा गया जिसमें पत्थरगढी दिनांक 22.09.2023 को किया जाना है। अप्रार्थी के द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर रखी है एवं यदि दिनांक 20.09.2023 को पत्थरगढी कर दी जाती है तो अपील का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा इसीलिये आदेश दिनांक 21.06.2023 की क्रियान्विती को रोका जाना आवश्यक है साथ ही उपरोक्त प्रकरण का मूल प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी दिनांक 21.06.2023 को निर्णित हो चुका है जिसकी मिशल को आज ही तलब करने की कृपा फरमावे।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अधिवक्ता श्री कुश कुमार की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्रों एव संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। रामरतन की ओर से अधिवक्ता कुश कुमार ने बहस में प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2023 को पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये थे। अप्रार्थी संख्या 01 रामरतन के द्वारा आपके द्वारा पारित आदेश से क्षुक्षुब्ध होकर अपीलीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत कर दी गई जो विचाराधीन है जिसकी अपील संख्या 97/2023 है। दिनांक 20.09.2023 को तहसीलदार अरांई के कार्यालय से उक्त खसरे के पत्थरगढी बाबत नोटिस भेजा गया जिसमें पत्थरगढी दिनांक 22.09.2023 को किया जाना है। अप्रार्थी के द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर रखी है एवं यदि दिनांक 20.09.2023 को पत्थरगढी कर दी जाती है तो अपील का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा इसीलिये आदेश दिनांक 21.06.2023 की क्रियान्विती को रोके जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें तथा उपरोक्त प्रकरण का मूल प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी दिनांक 21.06.2023 को निर्णित हो चुका है जिसकी मिशल को आज ही तलब करने की कृपा फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का मूल वाद क्रमांक 44/2022 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.06.2023 को निर्णित कर दिया गया जिसकी अपील वकील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, के समक्ष पेश की है जिसके क्रमांक 97/2023 है जहां पत्रावली पी.ओ. साहब के स्थानान्तरण के कारण आगामी पेश दिनांक 22.09.2023 में रखी गयी है। माननीय न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश दिनांक 21.09.2023 तक न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित नहीं किया है साथ ही न्यायालय हाजा (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी) श्रीमान के न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय है एवं श्रीमान संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण की अपील विचाराधीन है, श्रीमान संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील विचाराधीन रहते हुये इस न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्रों के स्वीकार का क्षेत्राधिकार नहीं है अतः राजस्थान भू.राजस्व अधि. की धारा 81 तथा आदेश 41 नियम 05 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार वकील अपीलार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते मिशल तलबी एवं प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक 21.06.2023 की क्रियान्विती को रोकने बाबत को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.9.23

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested